रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 1991/श्रावण 23, 1913

No. 446] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 1991/SRAVANA 23, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

ज्ञापन

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1991

वित्तीय प्रणाली पर समिति

का.आ. 519(अ).--पिछले दो दशकों में हमारी वित्तीय प्रणाली के भौगोलिक कवरेज और वित्तीय प्रसार में असाधारण विस्तार हुआ है। वित्तीय क्षेत्र का विकास एक मुख्य उपलब्धि है और इसने हमारी बचत दर में, विशेष तौर पर पारिवारिक क्षेत्र में, महत्वपूर्ण सहायता की है। तथापि, हाल के वर्षों में प्रणाली में कुछ अन्य अनम्यताएं और कमजोरियां देखने में आई हैं तथा इन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है ताकि वित्तीय प्रणाली और अधिक कुशल तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का विकास करने में अपनी भूमिका निभा सके।

2. अतः वित्तीय प्रणाली की संरचना, संगठन, कार्यों और प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1	श्री एम. नरसिंहम	अध्यक्ष
2.	उपगवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग परिचालन)	सदस्य
		सदस्य
3.	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक	सदस्य
4	अध्यक्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	सदस्य
5.	अध्यक्ष भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	सदस्य
6.	श्री मनु श्राफ	सदस्य
7.	श्री वाई एच मालेगम	सदस्य
8.	श्री मृणाल दत्ता चौधरी	सदस्य
9	अपर सचिव (बैंकिंग)	सदस्य सचिव

3 समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) वित्तीय प्रणाली की विद्यमान संरचना और उनके विभिन्न संघटकों की जांच करना और प्रणाली की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता तथा विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के

कार्यचालन में मितव्ययता, जवाबदेही और लाभप्रदता के संदर्भ में सुधार लाने के लिए सुझाव देना ;

(2) संगठनात्मक प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा प्रबंधकीय नीतियों में सुधार और उनके आधुनिकीकरण के लिए सिफारिशें करना ;

(3) प्रणालियों में और अधिक प्रतियोगात्मक क्षमता लाने के लिए सिफारिशें करना ताकि बैंक और वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी उभरती हुई आवश्यकताओं को अधिक कारगर ढंग से पूरा करने में सक्षम हो सकें ;

(4) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के पूंजी ढांचे की लागत, संरचना और पर्याप्तता की जांच करना तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना ;

(5) वित्तीय प्रणाली में विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की संबंधित भूमिकाओं की समीक्षा करना और उनके संतुलित विकास के लिए सिफारिशें करना ;

(6) वित्तीय क्षेत्र में, विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों और मावधि ऋणदात्री संस्थाओं में, विभिन्न निकायों से संबंधित वर्तमान पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और उचित तथा कारगर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु सिफारिशें करना ;

(7) वर्तमान विधायी फ्रेमवर्क की समीक्षा करना और सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक संशोधनों का सुझाव देना, जिनके संबंध में विधायी परिवर्तन अपेक्षित हो सकते हैं ;

(8) किसी अन्य विषय पर सिफारिशें करना जिसे समिति जांच के विषय के लिए संगत समझे या कोई संबंद्ध मामला जिसे भारत सरकार द्वारा, विशेष रूप से समिति को भेजा गया हो।

4 समिति अपनी रिपोर्ट 15 नवंबर, 1991 तक प्रस्तुत कर देगी। अलबत्ता, किसी विशिष्ट मामले पर समिति अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।

[सं एफ. 16(5) 91-बी.ओ.I]

के. जे. रेड्डी, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

MEMORANDUM

New Delhi, the 14th August, 1991

COMMITTEE ON THE FINANCIAL SYSTEM

S.O. 519(E).—The last two decades have seen a phenomenal expansion in the geographical coverage and financial spread of our financial system. The development of the financial sector is a major achievement and it has contributed significantly to the increase in our savings rate, especially of the household sector. In recent years, however, certain rigidities and weaknesses have developed in the system and these have to be addressed to enable the financial system to play its role in ushering in a more efficient and competitive economy.

2 It has, therefore, been decided by the Government of India to set up a High Level Committee to examine all aspects relating to the structure, organisation, functions and procedures of the financial system. The Committee will consist of the following :

1.	Shri M. Narasimham	Chairman
2.	Deputy Governor, RBI (Banking Operations)	Member
3.	Chairman, State Bank of India	Member
4.	Chairman, IDBI	Member
5.	Chairman, ICICI	Member
6.	Shri Manu Shroff	Member
7.	Shri Y. H. Malegam	Member
8.	Shri Mrinal Datta-Chaudhuri	Member
9.	Additional Secy. (Banking)	Member-Secretary

3. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To examine the existing structure of the financial system and its various components and to make recommendations for improving the efficiency and effectiveness of the system with particular reference to the economy of operations, accountability and profitability of the commercial banks and financial institutions;

(ii) To make recommendations for improving and modernising the organisational systems and procedures as well as managerial policies;

(iii) To make recommendations for infusing greater competitive vitality into the system so as to enable the banks and financial institutions to respond more effectively to the emerging credit needs of the economy;

(iv) To examine the cost, composition and adequacy of the capital structure of the various financial institutions and to make suitable recommendations in this regard;

(v) To review the relative roles of the different types of financial institutions in the financial system and to make recommendations for their balanced growth;

(vi) To review the existing supervisory arrangements relating to the various entities in the financial sector, in particular the commercial banks and the term lending institutions and to make recommendations for ensuring appropriate and effective supervision ;

(vii) To review the existing legislative framework and to suggest necessary amendments for implementing the recommendations that may require legislative change;

(viii) To make recommendations on any other subject matter as the Committee may consider germane to the subject of enquiry or any related matter which may be specifically referred to the Committee by the Government of India.

4. The Committee will submit its report by 15th November, 1991. The Committee may, however, submit an interim report on any specific matter.

[No. F. 16(5)|91-B.O.I]

K. J. REDDY, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, King Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991